न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 30/15 GCMS NO 2015/00241

1. रंगलाल
2. रामकिशन
3. खिलाडी
4. सोहर सिह पिसरान हरेत जाति मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामसिह पुत्र सन्तया जाति मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. वीरबाई
3. शांति पुत्रियान सरवन जातियान मीना निवासीयान खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
4. स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा भुसावर तहसील बैर जिला भरतपुर

रेस्पो0

(अपील विरुद्व मु0नं0 65/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.15 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 15.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.15 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बाबत इस्तकरार हक(इन्द्राज दुरुस्ती) अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम खेडी की भूमि हाल खसरा न0 2329 रकबा 0.37 है0 की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 के नाम दर्ज है। इस भूमि का भू प्रबंध विभाग से पूर्व खसरा न0 72 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा था। उक्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.8.86 को पूर्व खातेदार [illegible]ण पुत्र भवीचंद मीना निवासी खेडी जो प्रतिवादी न0 5 व 6 के पिता है , से खरीद की है। वादी के हक मे नामा0 संख्या 671 दिनांक 30.9.86 को तस्दीक हुआ है। उस समय भू प्रबंध का कार्य टोडाभीम मे चल रहा था । भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी मे गत खसरा न0 72 की अलग खातेदारी श्रवण के नाम दर्ज थी। वादी इस भूमि को खरीद के दिन से आज तक वहैसियत खातेदार काश्तकार सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। इसलिए अपने हक मे खातेदारी कराने का हकदार है। वादी अशिक्षित व ग्रामीण व्यक्ति है वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही होने की जानकारी नही थी , वादी जब दिनांक 8.7.10 को पटवारी हल्का के पास बिजली की पत्रावली बनवाने गया तब जानकारी हुई। तसीलदार द्वारा खातेदारी करने से इंकार करने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 6 डिक्री किया जाकर खसरा न0 2329 रकबा 0.37 है0 ग्राम खेडी का वादी [illegible]े खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी /रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य है। आराजीयात खसरा न0 2329 रकबा 0.37 है0 ग्राम खेडी की वर्तमान खातेदारी अपीलांट न0 1 ता 4 वहिस्सा 1/2 के नाम दर्ज थी तथा पूर्व अपीलांट के पिता हरेत पुत्र ग्यारसा वहिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रही है तथा 1/2 हिस्सें पर अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ता 4 काविज रहे है । इस तथ्य पर अदालत मातहत द्वारा गौर नही किया जाकर कानूनी भूल की है। आराजी खसरा न0 2329 के साविक खसरा न0 72 पूर्व मे अपीलांट के पिता हरेत पुत्र ग्यारसा का 1/2 हिस्सा रहा है तथा आज भी अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा है। जो जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040 से भली भॉति स्पष्ट है। इस तथ्य पर गौर नही किया जाकर अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 3 का भार प्रतिवादीगण पर माना मौजूदा जमाबंदी मे 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपीलांट के नाम है तथा उसके बाबजूद भी उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपीलांटगण के विरूद्व मानकर मौजूदा जमाबंदी पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। तथा तनकी संख्या 1 व 2 का वादी/रेस्पो0 न0 1 के पक्ष मे मानकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 4 स्पष्ट कर प्रतिवादी के जिम्मे डाली है जबकि उक्त तनकी का कोई तथ्य जबाब दावा या वाद पत्र मे कथन नही है। इस बिना अदालत मातहत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि मौजूद खसरा न0 2329 रकबा 0.37 है0 के साथ सम्पूर्ण खाता संख्या 492 कुल किता 16 कुल रकबा 4.05 है0 ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम अपीलांटगण वहिस्सा 1/2 तथा रेस्पो0 न0 2 व 3 बहिस्सा 1/2 की खातेदार है तथा पूर्व मे उसके बुजुर्ग खातेदार तथा यदि अलग अलग बंटवारा हो गया होता है तो फिर संयुक्त खातेदारी मे आराजी क्यो होती इस बिना पर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण के विरूद्व अदालत मातहत ने दिनांक 19.12.14 को एक तरफा मे आदेश पारित कर दिनांक 27.2.15 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांटगण द्वारा वकील से सम्पर्क करते रहे है वकील द्वारा अपीलांटगण की आवश्यता नही होने के कहने के कारण बार बार वापिस भेजते रहा। तब पटवारी हल्का से दिनांक 5.5.15 को बिजली की पत्रावली बनवाने के लिए गये तो निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तब वकील से सम्पर्क किया तो वकील द्वारा अपने आप को बीमार होने के कारण एक तरफा मे डिक्री जारी होने की कही। इस पर जानकारी होने पर अपील जानकारी के आधार पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 मे वादग्रस्त आराजीयात 2329 रकबा 0.37 है0 के साथ साथ अन्य खसरा नम्बरान की खातेदारी हरेत पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/2 , बीरवाई,शांति पुत्रियां सरवरण हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का अधिनस्थ न्यायालय मे कथन रहा कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात को पूर्व खातेदार श्रवण पुत्र भवीचद मीना से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.8.86 को खरीद किया है। उक्त कथन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.8.86

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से होती है। चूकि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 मे बहिस्सा 1/2 अपीलांट के पिता हरेत के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात के अलावा अन्य खसरा न0 किता 15 भी जमाबंदी मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। यदि पक्षकारो के मध्य पूर्व मे बंटवारा हुआ होता तो राजस्व रिकार्ड मे पृथक पृथक खातेदारी दर्ज रहती है। जबकि जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 मे वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे वकील वादी की बहस सुनने का कथन किया है तथा प्रतिवादीगण की बहस के सबंध मे किसी प्रकार का कोई कथन अंकित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.14 को अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर वादी का वाद पत्र एक तरफा मे डिक्री किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है क्योकि वादग्रस्त आराजीयात 2329 रकबा 0.37 है0 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065–68 मे बहिस्सा 1/2 हरेत अर्थात अपीलांट के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए राजस्व रिकार्ड मे से अपीलांटगण का नाम हजफ करने के आदेश एक तरफा मे दिये गये है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। जिससे अपीलांटगण के हक एवं अधिकार प्रभावित होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांटगण की गैरहाजरी मे पारित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को समय पर नही हो सकी। अपीलांटगण द्वारा अपील को विलम्व से प्रस्तुत करने के सबंध मे धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे जो तथ्य अंकित किया है। वह विलम्व की अवधि को क्षम्य किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 65/10 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.15 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे नये सिरे से तनकीयात कायम की जाकर अपीलांटगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.6.26 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर